



कार्यालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू

(अनु०जनजाति, अनु०जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण शाखा)

Email- dwopalamau@gmail.com

(अति अल्पकालिन निविदा)

वित्तीय वर्ष 2021-22 पलामू जिला अन्तर्गत कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए खाद्य-अखाद्य आदि सामग्रियों का दर निर्धारण/आपूर्ति हेतु आपूर्तिकर्ता के चयन के निमित्त मुहरबंद निविदा दिनांक 31.08.2021 को 12:00 P.M. बजे तक जिला कल्याण कार्यालय, पलामू में आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त निविदा दिनांक 01.09.2021 को 11:30 बजे क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष उप विकास आयुक्त, पलामू के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं।

(A) क्रय/आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों की सूची:- सामग्रियों की सूची जिला कल्याण कार्यालय, पलामू के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है या पलामू जिला के Website (Palamau.nic.in) से प्राप्त किया जा सकता है।

(B) तकनीकी बीड की शर्तें:-


1. निविदादाताओं को निविदा के साथ अग्रधन की राशि के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के पदनाम से 200000.00 (दो लाख) रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। अन्य किसी माध्यम से अग्रधन की राशि स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा उनका निविदा रद्द समझा जायेगा।
2. निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 का Certified Audit Report देना अनिवार्य है, जिसमें वार्षिक Turn Over 10000000.00 (एक करोड़) रूपया हो एवं March 2021 से अद्यतन मासिक GST का Return की प्रति संलग्न करना होगा।
3. निविदा में सामग्रियों का दर बाजार दर के समरूप ही अनुमान्य होगा तथा उच्च गुणवत्ता के आधार पर सामग्रियों का क्रय किया जायेगा।
4. निविदा के साथ माप-तौल एवं बाजार समिति का अद्यतन अनुज्ञापति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदादाताओं को दुकान/प्रतिष्ठापन का विक्री कर GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति देना होगा।
6. खाद्यान्न सामग्री के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) का License प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
7. निविदादाताओं को उपायुक्त स्तर का अद्यतन आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
8. (i) निविदा के साथ निविदादाताओं को वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 का आयकर रिटर्न (ii) GST का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण पत्र देना होगा (iii) पैन कार्ड एवं GST/Registration का अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा।
9. निविदादाताओं को सरकारी आवासीय विद्यालयों में खाद्य-अखाद्य सामग्री आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
10. निविदादाता को झारखण्ड के किसी जिले में काली सूची में नाम दर्ज नहीं रहने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
11. निविदा के साथ पुस्तक एवं स्टेशनरी की अनुज्ञापति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।


(C) वित्तीय बीड:-

(i) निविदादाताओं को खाद्य-अखाद्य तथा पठन-पाठन, उपस्कर बर्तन एवं लेखन सामग्री आदि के लिए ईकाईवार अलग-अलग सामग्रियों से संबंधित दर (सभी कर सहित) एक ही दर (कम्प्यूटर से प्रिंटेड) खरीद की जाने वाली सामग्रियों की सूची के अनुसार अंकित करना होगा। किसी भी स्थिति में दो दर वाले निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा और उसे रद्द समझा जायेगा।

3) निविदा की अन्य शर्तें:-

1. तकनीकी बीड (1 से 11 तक) एवं वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफे में स्वीकार किये जायेंगे।
2. क्रय समिति के समक्ष पहले तकनीकी बीड खोला जायेगा। तकनीकी बीड में सफल निविदादाता का ही वित्तीय बीड खोला जायेगा। तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग-अलग मुहरबंद लिफाफा में देना होगा। वित्तीय बीड कम्प्यूटर से प्रिंट होना अनिवार्य है।
3. सभी सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित आवासीय विद्यालयों में पहुँचाकर करना होगा, जिसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का हथालन एवं परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।
4. सामग्रियों का स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगा।
5. दर निर्धारण के समय क्रय समिति के समक्ष क्रय किये जाने वाले सामग्रियों का एक-एक नमूना लाना अनिवार्य होगा। अच्छी गुणवत्ता वाले नमूने ही मान्य होंगे। नमूना प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा स्वतः अस्वीकृत समझा जाएगा।
6. निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्त के एक सप्ताह के अन्दर सामानों की आपूर्ति नमूने के अनुरूप करना अनिवार्य होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर काली सूची में नाम दर्ज करने की कार्यवाई की जायेगी।
7. निविदा दाता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों का भुगतान विभाग द्वारा आवंटन प्राप्त होने पर किया जायेगा।
8. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने या किसी भी सिंगल आइटम को स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा बिना कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
9. चयनित आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 3 दिनों के अन्दर 100 रु0 का नन-जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।


जिला कल्याण पदाधिकारी,
पलामू।
18.8.21


उप विकास आयुक्त,
पलामू।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कल्याण विभाग द्वारा पलामू जिले में संचालित आवासीय विधालयों में आपूर्ति करने हेतु खाद्य-अखाद्य, पठन-पाठन सामग्री पोशाक, खेल-कूद सामग्री एवं अन्य सामग्रियों की सूची।


क्र०	सामग्रियों का नाम	अभियुक्ति
खाद्य-अखाद्य		
1	चावल उसना उत्तम	
2	चावल उसना मध्यम	
3	चावल अरवा उत्तम	
4	चना दाल	
5	अरहर दाल	
6	मूँग दाल	
7	मसूर दाल	
8	उड़द दाल	
9	सरसो तेल (इंजन/सलोनी ब्रांड)	
10	रिफाइन्ड तेल (धारा/फारचुन)	
11	आटा	
12	मैदा	
13	बेसन चना दाल का	
14	सुजी	
15	चना	
16	बादाम दाना	
17	चुड़ा	
18	गुड़	
19	चीनी	
20	काबली चना	
21	राजमा	
22	रसगुल्ला	
23	पनीर	
24	बटर अमूल्य 500 ग्राम (पैक)	
25	ब्रेड	
26	पापड़	
27	बर्फी	
28	बेसन लड्डु	
29	दलिया	
30	हारलिक्स (1 कि० पैक)	
31	खस्सी मांस	
32	मुर्गा मांस	
33	मछली, रेहु/कतला	
34	अंडा	
35	सुधा दूध प्रति लीटर	

36	अचार (आम, कटहल, आंवला)	
37	टोमैटो सोस	
38	चीली सोस	
39	आयोडिन नमक	
40	हल्दी पाउडर	
41	जीरा	
42	काली मिर्च	
43	लाल मिर्च	
44	धनिया पाउडर	
45	मिक्स मसाला	
46	मिट मसाला	
47	सांभर मसाला	
48	गर्म मसाला	
49	पच फोरन, सरसो	
50	लहसुन	
51	अदरक	
52	आलु	
53	प्याज	
54	सिजनल (साग सब्जी) फुल गोभी, टमाटर, बंदा गोभी, कद्दू, नेनुआ, भिन्डी, बोदी, कटहल, फरसबीन, मूली, खीरा, पालक साग, मटर छेनी, शिमला मिर्च, बैंगन, गाजर, पटल	
55	धनिया पत्ता	
56	सिजनल फल प्रति किलो- आम, सेव, केला, संतरा, अंगूर, नाशपति, नींबू	
57	स्नान का साबुन (लाइफ बॉय)	
58	कपड़ा धोने का साबुन (रिन बड़ा)	
59	वासिंग पाउडर (रिन/सर्फ एक्सल)	
60	नारियल तेल	
61	हारपिक	
62	नारियल झाड़ू	
63	फुल झाड़ू	
64	दुध पेस्ट कॉलगेट/पेपसोडेन्ट	
65	दुध ब्रश जीभी कॉलगेट/अजन्ता	
66	टॉयलेट ब्रश	
67	डिटोल हैंड वाश	
68	प्रति छात्र बाल कटाई	
पोशाक		
68	छात्रों के लिए नेभी ब्लू फुल पैट/उजला हाफ सर्ट (2 जोड़ा)	
69	छात्राओं के लिए आसमानी समीज, उजला सलवार (दो जोड़ा)	

सरकार द्वारा स्वीकृत दर 2500 रूपया
प्रति छात्र/छात्रा

70	छात्र-छात्राओं के लिए अंत वस्त्र
71	स्कूल बैग
72	जूता-मोजा
73	स्वेटर
74	टाई
75	बेल्ट
76	स्पोर्ट्स ड्रेस
77	स्लीपर, ब्लेजर
पठन-पाठन एवं लेखन सामग्री	
78	एन0सी0आर0टी0 की पुस्तके
79	सहायक पुस्तके
80	कॉपी-प्रति जिस्ते का कुट कभर का
81	कॉपी-प्रति जिस्ते का साधारण कभर का
82	डाईंग कॉपी
83	ग्राफ पेपर
84	रजिस्टर प्रति जिस्ता कुट कभर
85	रजिस्टर प्रति जिस्ता साधारण कभर
86	प्रैक्टिकल कॉपी (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, भूगोल एवं गृह विज्ञान)
87	स्केल - 12" एवं 6"
88	रबड़ (इरेजर)
89	पेन्सिल (कैम्प्लेन), रंगीन पेन्सिल
90	कलम -इंक पेन,बॉल पेन
91	औजार बाक्स
92	चौक डब्बा
93	डस्टर
94	अक्षर माला चार्ट वर्ल्ड/देश/राज्य का नक्शा (राजनैतिक/प्राकृतिक), ग्लोब
95	सादा कागज प्रति जिस्ता
96	रूलदार कागज प्रति जिस्ता
97	बॉयोलॉजिकल चार्ट
98	गणितीय चार्ट/विज्ञान चार्ट
99	पुस्तकालय के लिए पुस्तक अच्छे प्रकाशन का
100	ऑफिस टैग
101	फलाई लिफ
102	A4 साईज सेन्चुरी पेपर एक पेकेट
103	पेपर पीन
104	फ्लैट फाईल
105	गार्ड फाईल
106	Stapler छोटा साईज कंगारू कंपनी का
107	Stapler बड़ा साईज कंगारू कंपनी का

108	कार्बन कोरस प्रति पैकेट	
खेलकूद सामग्री		
108	क्रिकेट का बल्ला	
109	क्रिकेट का बॉल (कोस्को)	
110	क्रिकेट के लिए विकेट सेट	
111	हैंड ग्लबस का सेट	
112	क्रिकेट के लिए लेग पैड	
113	फुटबॉल	
114	फुटबॉल गोल पोस्ट का जाली	
115	बॉलीबाल/बॉलीबाल नेट	
116	बैडमिन्टन रैकेट/नेट	
117	बैडमिन्टन कॉर्क (नॉयलन)	
118	कैरमबोर्ड (बड़ा साईज)	
119	कैरमबोर्ड (मध्यम साईज)	


 जिला कल्याण पदाधिकारी,
 पलामू।
 18/8/21

उप विकास आयुक्त,
 पलामू।